प्रेषक,

मुख्य चिकित्साधिकारी
जनपद–महराजगंज।

सेवा में,

महाप्रबन्धक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक–मु0चि0अ0/मगंज/2018–19/1926 दिनांक 19/09/2018

विषयः–Status of Supportive Supervision Taxi Hiring Status and Submission of Taxi agreement with Vendor

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके ई–मेल दिनांक 14.09.2018 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना को संलग्न प्रारूप पर भरकर तथा समस्त अनुबन्ध की छाया प्रति संलग्नक कर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

सादर प्रेषित।

भवदीय

19/9/2018

मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज।

पत्रांक–मु0चि0अ0/मगंज/ 2018–19/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद–मराजगजं।
5. अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर0सी0एच0, जनपद–महराजगंज।
6. वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद–महराजगंज।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, जनपद–महराजगंज।

मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज।

Supportive Supervision Vehicle Hiring - District level information 2018-19 (Updated on 19.09.2018)

Sl.No.	Name of District	No of Vehicle alloted	No of Vehicle hired	Vehicle No-1	Vehicle No-2	Date of Hiring	Vehicle Status No-1	Vehicle Status No-2
1	Maharajganj	2	2	UP-56-T-4591	UP-53-BM-0954	Vehicle No-1 Date of Hiring 05-04-2018 Vehicle No-2 Date of Hiring 04-04-2018	JEEP TAXI	JEEP TAXI
Total		**2**	**2**					

Chief Medical officer
Maharajganj

Supportive Supervision vehicle Hiring (Block wise) information 2018-19 (Updated on 19.09.2018)

S.No.	Name of division	Name of District	Block Name	Vehicle No-1	Date of Hiring	Vehical Alloted	Vehical Status	Vehicle Status
1	Gorakhpur	Maharajganj	Nichlaul	UP-56-T-8752	19-04-18	12	12	MOTOR CAB/TAXI
			Mithaura	UP-57-AJ-2545	05-04-18			MOTOR CAB
			Ghughuli	UP-56-T-8703	20-04-18			MOTOR CAB/TAXI
			Bahaduri	UP-55-T-8190	05-04-18			MOTOR CAB/TAXI
			Ratanpur	UP-56-T-5468	06-04-18			MOTOR CAB
			Dhani	UP-56-L-4464	05-04-18			MOTOR CAB
			Pharenda	UP-56-L-1666	05-04-18			JEEP TAXI
			Laxmipur	UP-56-T-3966	05-04-18			JEEP TAXI
			Sadar	UP-56-T-5914	05-04-18			JEEP TAXI
			Siswa	UP-53-ET-5373	23-05-18			MOTOR CAB
			Partawal	UP-56-T-8771	16-04-18			MOTOR CAB/TAXI
			Paniyara	UP-53CT-5540	05-04-18			JEEP TAXI

Chief Medical officer
Maharajganj

Summary of Supportive Supervision Vehicles Hiring in State-2018-19 (Updated on 19.09.2018)										
Sr No	Division	Sr No	District	Agreement Copy	Block	Total No of SS Vehicles Sanctioned	Vehicle Hired (2018-19)			
							AD	CMO	MOIc	Total
1	Gorakhpur	39	Maharajganj	Attached	12	14	0	2	12	14
Total					12	14	0	2	12	14

Chief Medical officer
Maharajganj

उत्तर प्रदेश **UTTAR PRADESH**

DG 708918

प्रथम पक्ष **नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति,जनपद–महराजगंज।**

द्वितीय पक्ष/(सेवा प्रदाता) मेसर्स–कृष्णा इण्टर प्राईजेज, टूर एण्ड ट्रेवेर्ल्स, जनपद–महराजगंज व वाहन स्वामी रामवृक्ष पुत्र सैलू प्रसाद, ग्राम–नन्दाभार, खजुरिया, चौक जनपद–महराजगंज। **वाहन संख्या- UP 56 T 4591**

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के संचालन हेतु दिनांक 05.04.2018 से 31.03.2019 तक के लिये मान्य होगा।

1– द्वितीय पक्षकार जिला–महराजगंज के आंवटित **जनपद मुख्यालय**, जनपद–महराजगंज को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

A- सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोडकर जो लगभग 25 दिन प्रति माह के अन्तर्गत आएगा। रू0 31000/– (रू0 इकतीस हजार मात्र) ईधन साहित प्रतिमाह प्रति वाहन की दर से उपलब्ध कराएगा। यदि वाहन 25 दिवस से कम उपलब्ध कराया जाता है तो अनुपातिक भुगतान होगा। वाहन माह में कम से 1500 कि0मी0 चलाना अनिवार्य होगा। 1500 कि0मी0 से कम चलने पर अनुपातिक भुगतान ही किया जायेगा। अवकाश में यदि कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है तो वाहन देना होगा।

B- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिर्वाय है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

C- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।

D- नियमति जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0–300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

E- सम्बन्धित इकाई के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा यदि किसी कार्य कार्यक्रम में कोई निर्देश दिया जाता है तो वह वाहन स्वामी को मान्य होगा ।

2- द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 19800.00(रू0 उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की जमानत राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

3- **सपोर्टिव सुपरविजन** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयो में सूचना पट्ट योजना संबन्धी प्रचार प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

4- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाईल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाईल नम्बर दिया जोगया, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष की होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्य नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करे। ऐसा पाए जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6– एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

7– अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल महराजगंज न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षो को मान्य होगा।

8– सेवा प्रदाता को समस्त कर यथा टोल टैक्स, जी0एस0टी0, आदि कर स्वयं देना होगा तथा वाहन का मेन्टेन्स द्वितीय पक्षकार को ही करना होगा।

9– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि व द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान–महराजगंज।

प्रतिहस्ताक्षरित
मुख्य चिकित्साधिकारी

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी महराजगंज | द्वितीय पक्ष वाहन स्वामी | निविदादाता फर्म

उप मुख्य चिकित्साधिकारी
आर०सी०एच०
महराजगंज

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DX 413201

प्रथम पक्ष — **नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद–महराजगंज।**

द्वितीय पक्ष/(सेवा प्रदाता) मेसर्स अंकित इण्टरप्राइजेज, चौरी–चौरा जनपद–गोरखपुर वाहन स्वामी श्री राजेन्द्र यादव पुत्र श्री कतवारू यादव, चौरी चौरा, महराजगंज। **वाहन संख्या- UP 53 BM- 0954**

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के संचालन हेतु निविदा स्वीकृति की दिनांक 04.04.2018 से आगामी 01 वर्ष तक के लिए मान्य होगी।

1– द्वितीय पक्षकार जिला–महराजगंज के जनपद मुख्यालय को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

A- सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोडकर जो लगभग कम से कम 25 दिन प्रति माह के अन्तर्गत आएगा। रू0 31000/– (रू0 इकतीस हजार मात्र) ईधन साहित प्रतिमाह प्रति वाहन की दर से उपलब्ध कराएगा। यदि वाहन 25 दिवस से कम उपलब्ध कराया जाता है तो अनुपातिक भुगतान होगा। वाहन माह में कम से 1500 कि0मी0 चलाना अनिवार्य होगा। 1500 कि0मी0 से कम चलने पर अनुपातिक भुगतान ही किया जायेगा। अवकाश में यदि कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है तो वाहन देना होगा।

B- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिर्वाय है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

C- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।

D- नियमति जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0–300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

E- सम्बन्धित इकाई के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा यदि किसी कार्य कार्यक्रम में कोई निर्देश दिया जाता है तो वह वाहन स्वामी को मान्य होगा ।

2- द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 19800.00(रू0 उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की जमानत राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अविध पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

3- **सपोर्टिव सुपरविजन** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयो में सूचना पट्ट योजना संबन्धी प्रचार प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

4- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाईल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाईल नम्बर दिया जोगया, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष की होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करे। ऐसा पाए जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6– एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

7– अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल महराजगंज न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षो को मान्य होगा।

8– सेवा प्रदाता को समस्त कर यथा टोल टैक्स, जी0एस0टी0, आदि कर स्वयं देना होगा तथा वाहन का मेन्टेन्स द्वितीय पक्षकार को ही करना हेगा।

9– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि व द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान–महराजगंज।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज

द्वितीय पक्ष वाहन स्वामी

निविदादाता फर्म

मुख्य चिकित्साधिकारी
आर०सी०एच०
महराजगंज

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EC 577396

प्रथम पक्ष — नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति,जनपद–महराजगंज।

द्वितीय पक्ष/(सेवा प्रदाता) — कृष्णा इण्टर प्राईजेज टूर एण्ड ट्रेबेल्स एण्ड एजेन्सी, राजीव नगर, महराजगंज जनपद–महराजगंज व वाहन स्वामी श्री विनोद कुमार गुप्ता, राजीव नगर, महराजगंज वाहन संख्या- UP 56T 8752

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के संचालन हेतु दिनांक 19.04.2018 से आगामी 31.03.2019 तक के लिए मान्य होगी।

1– द्वितीय पक्षकार जिला–महराजगंज के आंवटित **सामु0स्वा0केन्द्र–निचलौल** जनपद–महराजगंज को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

A- सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोडकर जो लगभग 25 दिन प्रति माह के अन्तर्गत आएगा। रू0 31000/–(रू0 इकतीस हजार मात्र) ईधन साहित प्रतिमाह प्रति वाहन की दर से उपलब्ध कराएगा। यदि वाहन 25 दिवस से कम उपलब्ध कराया जाता है तो अनुपातिक भुगतान होगा। वाहन माह में कम से 1500 कि0मी0 चलाना अनिवार्य होगा। 1500 कि0मी0 से कम चलने पर अनुपातिक भुगतान ही किया जायेगा।

B- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिर्वाय है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

C- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।

D- नियमति जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0–300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2- द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 19800.00(रू0 उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की जमानत राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अविध पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

3- **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयो में सूचना पट्ट योजना संबन्धी प्रचार प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

4- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाईल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाईल नम्बर दिया जोगया, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष की होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्य नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करे। ऐसा पाए जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6– एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

7– अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल महराजगंज न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षो को मान्य होगा।

8– सेवा प्रदाता को समस्त कर यथा टोल टैक्स, जी0एस0टी0, आदि कर स्वयं देना होगा तथा वाहन का मेन्टेन्स द्वितीय पक्षकार को ही करना हेागा।

9– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि व द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान–महराजगंज।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी — अपर मुख्य चिकित्साधिकारी महराजगंज

द्वितीय पक्ष वाहन स्वामी — विनोदकुमार

निविदादाता फर्म — विनोद गुप्ता

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

30 JAN 2018

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DG 708919

प्रथम पक्ष	नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति,जनपद–महराजगंज।
द्वितीय पक्ष/(सेवा प्रदाता)	मेसर्स–कृष्णा इण्टर प्राईजेज, टूर एण्ड ट्रेवेर्ल्स, जनपद–महराजगंज व वाहन स्वामी प्रतिभा पुत्री नथुनी राव, ग्राम–बरवां जंगल पो0–दिलीपनगर, कुशीनगर **वाहन संख्या- UP 57 AJ 2545**

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के संचालन हेतु दिनांक 05.04.2018 से 31.03.2019 तक के लिये मान्य होगा।

1– द्वितीय पक्षकार जिला–महराजगंज के आंवटित **सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्र–मिठौरा**, जनपद–महराजगंज को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

A- सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोडकर जो लगभग 25 दिन प्रति माह के अन्तर्गत आएगा। रू0 31000/– (रू0 इकतीस हजार मात्र) ईधन साहित प्रतिमाह प्रति वाहन की दर से उपलब्ध कराएगा। यदि वाहन 25 दिवस से कम उपलब्ध कराया जाता है तो अनुपातिक भुगतान होगा। वाहन माह में कम से 1500 कि0मी0 चलाना अनिवार्य होगा। 1500 कि0मी0 से कम चलने पर अनुपातिक भुगतान ही किया जायेगा। अवकाश में यदि कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है तो वाहन देना होगा।

B- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिर्वाय है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

C- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।

D- नियमति जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0–300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

E- सम्बन्धित इकाई के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा यदि किसी कार्य कार्यक्रम में कोई निर्देश दिया जाता है तो वह वाहन स्वामी को मान्य होगा ।

2- द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 19800.00(रू0 उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की जमानत राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

3- **सपोर्टिव सुपरविजन** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयो में सूचना पट्ट योजना संबन्धी प्रचार प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

4- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाईल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाईल नम्बर दिया जोगया, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष की होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्य नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करे। ऐसा पाए जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6– एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

7– अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल महराजगंज न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षो को मान्य होगा।

8– सेवा प्रदाता को समस्त कर यथा टोल टैक्स, जी0एस0टी0, आदि कर स्वयं देना होगा तथा वाहन का मेन्टेन्स द्वितीय पक्षकार को ही करना होगा।

9– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि व द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान–महराजगंज।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी महराजगंज

द्वितीय पक्ष वाहन स्वामी

निविदादाता फर्म

उप मुख्य चिकित्साधिकारी आर०सी०एच० महराजगंज

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EC 577395

प्रथम पक्ष — नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति;जनपद–महराजगंज।

द्वितीय पक्ष/(सेवा प्रदाता) — कृष्णा इण्टर प्राईजेज, टूर एण्ड ट्रेवेल्र्स, जनपद–महराजगंज व वाहन स्वामी श्री देवेश कुमार श्रीवास्तव , सिविल लाईन, महराजगंज वाहन संख्या- **UP 56 T 8703**

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के संचालन हेतु दिनांक 20.04.2018 से आगामी 31.03.2019 तक के लिए मान्य होगी।

1– द्वितीय पक्षकार जिला–महराजगंज के आंवटित **प्रा0स्वा0 केन्द्र–घुघुली**, जनपद–महराजगंज को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

A- सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोडकर जो लगभग 25 दिन प्रति माह के अन्तर्गत आएगा। रू0 31000/–(रू0 इकतीस हजार मात्र) ईधन साहित प्रतिमाह प्रति वाहन की दर से उपलब्ध कराएगा। यदि वाहन 25 दिवस से कम उपलब्ध कराया जाता है तो अनुपातिक भुगतान होगा। वाहन माह में कम से 1500 कि0मी0 चलाना अनिवार्य होगा। 1500 कि0मी0 से कम चलने पर अनुपातिक भुगतान ही किया जायेगा।

B- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिर्वाय है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

C- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।

D- नियमति जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0–300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2- द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नामं रू0 19800.00(रू0 उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की जमानत राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अविध पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

3- **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयो में सूचना पट्ट योजना संबंधी प्रचार प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

4- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाईल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाईल नम्बर दिया जोगया, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष की होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करे। ऐसा पाए जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6– एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

7– अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल महराजगंज न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षो को मान्य होगा।

8– सेवा प्रदाता को समस्त कर यथा टोल टैक्स, जी0एस0टी0, आदि कर स्वयं देना होगा तथा वाहन का मेन्टेन्स द्वितीय पक्षकार को ही करना होगा।

9– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि व द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान–महराजगंज।

प्रतिहस्ताक्षरित

Devesh Srivastav

प्रथम पक्ष **मुख्य चिकित्साधिकारी** **द्वितीय पक्ष** **वाहन स्वामी** **निविदादाता फर्म**

मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EC 581120

प्रथम पक्ष — नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति,जनपद–महराजगंज।

द्वितीय पक्ष/(सेवा प्रदाता) — उपाध्याय ट्रेडर्स, कोल्हुई, जनपद–महराजगंज व वाहन स्वामी श्री संदीप कुमार दूबे, निवासी–मोहनाग जनपद–सिद्धार्थनगर, वाहन संख्या- **UP 55T8190**

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के संचालन हेतु दिनांक 05.04.2018 से आगामी 31.03.2019 तक के लिए मान्य होगी।

1– द्वितीय पक्षकार जिला–महराजगंज के आंवटित **प्रा0स्वा0 केन्द्र–बहदुरी**, जनपद–महराजगंज को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

A- सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोडकर जो लगभग 25 दिन प्रति माह के अन्तर्गत आएगा। रू0 31000/–(रू0 इकतीस हजार मात्र) ईधन साहित प्रतिमाह प्रति वाहन की दर से उपलब्ध कराएगा। यदि वाहन 25 दिवस से कम उपलब्ध कराया जाता है तो अनुपातिक भुगतान होगा। वाहन माह में कम से 1500 कि0मी0 चलाना अनिवार्य होगा। 1500 कि0मी0 से कम चलने पर अनुपातिक भुगतान ही किया जायेगा।

B- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिर्वाय है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

C- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।

D- नियमति जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0–300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2- द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 19800.00(रू0 उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की जमानत राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अविध पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

3- **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सूचना पट्ट योजना संबन्धी प्रचार प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

4- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाईल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाईल नम्बर दिया जोगया, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष की होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्य नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करे। ऐसा पाए जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6– एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

7– अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल महराजगंज न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षो को मान्य होगा।

8– सेवा प्रदाता को समस्त कर यथा टोल टैक्स, जी0एस0टी0, आदि कर स्वयं देना होगा तथा वाहन का मेन्टेन्स द्वितीय पक्षकार को ही करना हेगा।

9– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि व द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

10– सेवा प्रदाता द्वारा अनिवार्य रूप से जी0पी0आर0एस0 वाहन में लगाना होगा।

स्थान–महराजगंज।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी महराजगंज

द्वितीय पक्ष वाहन स्वामी

निविदादाता फर्म

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DX 412968

प्रथम पक्ष — **नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद–महराजगंज।**

द्वितीय पक्ष/(सेवा प्रदाता) — मेसर्स–श्री कृष्णा इण्टरप्राईजेज, टूर एण्ड ट्रेवेल्र्स, एजेन्सी, महराजगंज। वाहन स्वामी अमीरूल्लाह खान पुत्र तपसीर अली, ग्राम–अकमा पो0–लक्ष्मीपुर, महराजगंज। **वाहन संख्या- UP 56 T 5468**

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के संचालन हेतु दिनांक 06.04.2018 से आगामी 01 वर्ष तक के लिए मान्य होगी।

1– द्वितीय पक्षकार जिला–महराजगंज के आंवटित **सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्र–रतनपुर**, जनपद–महराजगंज को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

A- सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोडकर जो लगभग कम से कम 25 दिन प्रति माह के अन्तर्गत आएगा। रू0 31000/– (रू0 इकतीस हजार मात्र) ईधन साहित प्रतिमाह प्रति वाहन की दर से उपलब्ध कराएगा। यदि वाहन 25 दिवस से कम उपलब्ध कराया जाता है तो अनुपातिक भुगतान होगा। वाहन माह में कम से 1500 कि0मी0 चलाना अनिवार्य होगा। 1500 कि0मी0 से कम चलने पर अनुपातिक भुगतान ही किया जायेगा। अवकाश में यदि कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है तो वाहन देना होगा।

B- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

C- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।

D- नियमति जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0–300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

E- सम्बन्धित इकाई के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा यदि किसी कार्य कार्यक्रम में कोई निर्देश दिया जाता है तो वह वाहन स्वामी को मान्य होगा ।

2- द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 19800.00(रू0 उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की जमानत राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

3- **सपोर्टिव सुपरविजन** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयो में सूचना पट्ट योजना संबन्धी प्रचार प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

4- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाईल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाईल नम्बर दिया जोगया, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष की होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्य नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करे। ऐसा पाए जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6– एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

7– अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल महराजगंज न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षो को मान्य होगा।

8– सेवा प्रदाता को समस्त कर यथा टोल टैक्स, जी0एस0टी0, आदि कर स्वयं देना होगा तथा वाहन का मेन्टेन्स द्वितीय पक्षकार को ही करना हेगा।

9– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि व द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान–महराजगंज।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रथम पक्ष **मुख्य चिकित्साधिकारी**

मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज

द्वितीय पक्ष **वाहन स्वामी**

निविदादाता फर्म

मुख्य चिकित्साधिकारी
आर०सी०एच०
महराजगंज

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DX 412428

प्रथम पक्ष — **नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद–महराजगंज।**

द्वितीय पक्ष/(सेवा प्रदाता) — मेसर्स–श्री कृष्णा इण्टरप्राईजेज, टूर एण्ड ट्रेवेल्स, एजेन्सी, महराजगंज। वाहन स्वामी रियाज अहमद पुत्र शान मोहम्मद, ग्राम–फरेन्दा बुजुर्ग, महराजगंज। **वाहन संख्या- UP 56 L 4464**

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के संचालन हेतु दिनांक 05.04.2018 से आगामी 01 वर्ष तक के लिए मान्य होगी।

1– द्वितीय पक्षकार जिला–महराजगंज के आंवटित **सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्र–धानी**, जनपद–महराजगंज को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

A- सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोडकर जो लगभग कम से कम 25 दिन प्रति माह के अन्तर्गत आएगा। रू0 31000/– (रू0 इकतीस हजार मात्र) ईधन साहित प्रतिमाह प्रति वाहन की दर से उपलब्ध कराएगा। यदि वाहन 25 दिवस से कम उपलब्ध कराया जाता है तो अनुपातिक भुगतान होगा। वाहन माह में कम से 1500 कि0मी0 चलाना अनिवार्य होंगा। 1500 कि0मी0 से कम चलने पर अनुपातिक भुगतान ही किया जायेगा। अवकाश में यदि कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है तो वाहन देना होगा।

B- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

C- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।

D- नियमति जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0–300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

रियाज

E- सम्बन्धित इकाई के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा यदि किसी कार्य कार्यक्रम में कोई निर्देश दिया जाता है तो वह वाहन स्वामी को मान्य होगा ।

2- द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 19800.00(रू0 उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की जमानत राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

3- **सपोर्टिव सुपरविजन** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयो में सूचना पट्ट योजना संबन्धी प्रचार प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

4- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाईल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाईल नम्बर दिया जोगया, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष की होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्य नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करे। ऐसा पाए जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6– एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

7– अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल महराजगंज न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षो को मान्य होगा।

8– सेवा प्रदाता को समस्त कर यथा टोल टैक्स, जी0एस0टी0, आदि कर स्वयं देना होगा तथा वाहन का मेन्टेन्स द्वितीय पक्षकार को ही करना होगा।

9– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि व द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान–महराजगंज।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी

मुख्य चिकित्साधिकारी महराजगंज

द्वितीय पक्ष **वाहन स्वामी** **निविदादाता फर्म**

उप मुख्य चिकित्साधिकारी आर०सी०एच० महराजगंज

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH ED 101600

प्रथम पक्ष — नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति,जनपद–महराजगंज।

द्वितीय पक्ष/(सेवा प्रदाता) — उपाध्याय ट्रेडर्स, कोल्हुई, जनपद–महराजगंज व वाहन स्वामी श्री गौरीशंकर मावलीय, निवासी–वार्ड–3, विकास नगर, आनन्दनगर, महराजगंज वाहन संख्या- UP 56 L 1666

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के संचालन हेतु दिनांक 05.04.2018 से आगामी 31.03.2019 तक के लिए मान्य होगी।

1– द्वितीय पक्षकार जिला–महराजगंज के आंवटित **सामु0स्वा0 केन्द्र–फरेन्दा**, जनपद–महराजगंज को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

A- सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोडकर जो लगभग 25 दिन प्रति माह के अन्तर्गत आएगा। रू0 31000/–(रू0 इकतीस हजार मात्र) ईधन साहित प्रतिमाह प्रति वाहन की दर से उपलब्ध कराएगा। यदि वाहन 25 दिवस से कम उपलब्ध कराया जाता है तो अनुपातिक भुगतान होगा। वाहन माह में कम से 1500 कि0मी0 चलाना अनिवार्य होगा। 1500 कि0मी0 से कम चलने पर अनुपातिक भुगतान ही किया जायेगा।

B- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिर्वाय है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

C- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।

D- नियमति जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0–300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2- द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 19800.00(रू0 उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की जमानत राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अविध पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

3- **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यकम** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयो में सूचना पटट योजना संबन्धी प्रचार प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

4- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाईल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाईल नम्बर दिया जोगया, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष की होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करे। ऐसा पाए जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6– एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

7– अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल महराजगंज न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षो को मान्य होगा।

8– सेवा प्रदाता को समस्त कर यथा टोल टैक्स, जी0एस0टी0, आदि कर स्वयं देना होगा तथा वाहन का मेन्टेन्स द्वितीय पक्षकार को ही करना होगा।

9– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि व द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

10– सेवा प्रदाता द्वारा अनिवार्य रूप से जी0पी0आर0एस0 वाहन में लगाना होगा।

स्थान–महराजगंज।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी
मुख्य चिकित्साधिकारी महराजगंज

द्वितीय पक्ष **वाहन स्वामी** **निविदादाता फर्म**

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DX 412429

प्रथम पक्ष **नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद–महराजगंज।**

द्वितीय पक्ष/(सेवा प्रदाता) मेसर्स–श्री कृष्णा इण्टरप्राईजेज, टूर एण्ड ट्रेवेल्स, एजेन्सी, महराजगंज। वाहन स्वामी श्रीमती कंचन शर्मा पत्नी राजेन्द्र शर्मा, ग्राम व पोस्ट–पुरन्दरपुर, महराजगंज। **वाहन संख्या- UP 56 T 3966**

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यकम** के संचालन हेतु दिनांक 05.04.2018 से आगामी 01 वर्ष तक के लिए मान्य होगी।

1– द्वितीय पक्षकार जिला–महराजगंज के आंवटित **सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्र–लक्ष्मीपुर**, जनपद–महराजगंज को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

A- सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यकम** के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोडकर जो लगभग कम से कम 25 दिन प्रति माह के अन्तर्गत आएगा। रू0 31000/– (रू0 इकतीस हजार मात्र) ईधन साहित प्रतिमाह प्रति वाहन की दर से उपलब्ध कराएगा। यदि वाहन 25 दिवस से कम उपलब्ध कराया जाता है तो अनुपातिक भुगतान होगा। वाहन माह में कम से 1500 कि0मी0 चलाना अनिवार्य होगा। 1500 कि0मी0 से कम चलने पर अनुपातिक भुगतान ही किया जायेगा। अवकाश में यदि कोई राष्ट्रीय कार्यकम होता है तो वाहन देना होगा।

B- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

C- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।

D- नियमति जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0–300.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

कंचन शर्मा

E- सम्बन्धित इकाई के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा यदि किसी कार्य कार्यक्रम में कोई निर्देश दिया जाता है तो वह वाहन स्वामी को मान्य होगा ।

2- द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 19800.00(रू0 उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की जमानत राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

3- **सपोर्टिव सुपरविजन** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयो में सूचना पट्ट योजना संबन्धी प्रचार प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

4- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाईल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाईल नम्बर दिया जोगया, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष की होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्य नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करे। ऐसा पाए जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6– एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

7– अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल महराजगंज न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षो को मान्य होगा।

8– सेवा प्रदाता को समस्त कर यथा टोल टैक्स, जी0एस0टी0, आदि कर स्वयं देना होगा तथा वाहन का मेन्टेन्स द्वितीय पक्षकार को ही करना होगा।

9– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि व द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान–महराजगंज प्रतिहस्ताक्षरित

मुख्य चिकित्साधिकारी

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी महराजगंज

द्वितीय पक्ष वाहन स्वामी

निविदादाता फर्म

मुख्य चिकित्साधिकारी
आर०सी०एच०
महराजगंज

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DX 412967

प्रथम पक्ष — नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति,जनपद–महराजगंज।

द्वितीय पक्ष/(सेवा प्रदाता) — मेसर्स–कृष्णा इण्टर प्राईजेज, टूर एण्ड ट्रेवेल्स, जनपद–महराजगंज व वाहन स्वामी श्री मनोज कुमार पुत्र रामराज, ग्राम–अकमा, पो0–लक्ष्मीपुर, पुरन्दरपुर, महराजगंज । वाहन संख्या– **UP 56 T 5914**

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के संचालन हेतु दिनांक 05.04.2018 से 31.03.2019 तक के लिये मान्य होगा।

1– द्वितीय पक्षकार जिला–महराजगंज के आंवटित **सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्र–महराजगंज**, जनपद–महराजगंज को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

A- सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोडकर जो लगभग 25 दिन प्रति माह के अन्तर्गत आएगा। रू0 31000/– (रू0 इकतीस हजार मात्र) ईधन साहित प्रतिमाह प्रति वाहन की दर से उपलब्ध कराएगा। यदि वाहन 25 दिवस से कम उपलब्ध कराया जाता है तो अनुपातिक भुगतान होगा। वाहन माह में कम से 1500 कि0मी0 चलाना अनिवार्य होगा। 1500 कि0मी0 से कम चलने पर अनुपातिक भुगतान ही किया जायेगा। अवकाश में यदि कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है तो वाहन देना होगा।

B- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिर्वाय है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

C- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।

D- नियमति जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0–300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

E- सम्बन्धित इकाई के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा यदि किसी कार्य कार्यक्रम में कोई निर्देश दिया जाता है तो वह वाहन स्वामी को मान्य होगा ।

2- द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 19800.00(रू0 उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की जमानत राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

3- **सपोर्टिव सुपरविजन** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयो में सूचना पट्ट योजना संबन्धी प्रचार प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

4- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाईल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाईल नम्बर दिया जोगया, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष की होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्य नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करे। ऐसा पाए जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6– एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

7– अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल महराजगंज न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षो को मान्य होगा।

8– सेवा प्रदाता को समस्त कर यथा टोल टैक्स, जी0एस0टी0, आदि कर स्वयं देना होगा तथा वाहन का मेन्टेन्स द्वितीय पक्षकार को ही करना हेगा।

9– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि व द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान–महराजगंज।

16/04/2018

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी
मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज

द्वितीय पक्ष वाहन स्वामी

निविदादाता फर्म
विनोद कुमार

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EC 573150

प्रथम पक्ष नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति,जनपद–महराजगंज।

द्वितीय पक्ष/(सेवा प्रदाता) मेसर्स–कृष्णा इण्टर प्राईजेज, टूर एण्ड ट्रेवेल्स, जनपद–महराजगंज व वाहन स्वामी श्रीमती अन्नु त्रिपाठी, मोहद्दीपुर, गोरखपुर। **वाहन संख्या- UP 53 ET 5373**

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के संचालन हेतु दिनांक 23.05.2018 से 31.03.2019 तक के लिए मान्य होगा।

1– द्वितीय पक्षकार जिला–महराजगंज के आंवटित **सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्र–सिसवा**, जनपद–महराजगंज को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

A- सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोडकर जो लगभग 25 दिन प्रति माह के अन्तर्गत आएगा। रू0 31000/– (रू0 इकतीस हजार मात्र) ईधन साहित प्रतिमाह प्रति वाहन की दर से उपलब्ध कराएगा। यदि वाहन 25 दिवस से कम उपलब्ध कराया जाता है तो अनुपातिक भुगतान होगा। वाहन माह में कम से 1500 कि0मी0 चलाना अनिवार्य होगा। 1500 कि0मी0 से कम चलने पर अनुपातिक भुगतान ही किया जायेगा। अवकाश में यदि कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है तो वाहन देना होगा।

B- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिर्वाय है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

C- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।

D- नियमति जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0–300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2- द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 19800.00(रू0 उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की जमानत राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अविध पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

3- **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयो में सूचना पट्ट योजना संबन्धी प्रचार प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

4- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाईल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाईल नम्बर दिया जोगया, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष की होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्य नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करे। ऐसा पाए जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6– एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

7– अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल महराजगंज न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षो को मान्य होगा।

8– सेवा प्रदाता को समस्त कर यथा टोल टैक्स, जी0एस0टी0, आदि कर स्वयं देना होगा तथा वाहन का मेन्टेन्स द्वितीय पक्षकार को ही करना हेागा।

9– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि व द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान–महराजगंज।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रथम पक्ष **मुख्य चिकित्साधिकारी** मुख्य चिकित्साधिकारी महराजगंज

द्वितीय पक्ष **वाहन स्वामी** Annu Tripathi **निविदादाता फर्म** विनोद कुमार

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EC 573146

प्रथम पक्ष — नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति,जनपद–महराजगंज।

द्वितीय पक्ष/(सेवा प्रदाता) — कृष्णा इण्टर प्राईजेज, टूर एण्ड ट्रेवेल्स, जनपद–महराजगंज व वाहन स्वामी श्री सुरेन्द्र यादव, सोहरौना तिवारी, महराजगंज वाहन संख्या- UP 56 T 8771

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के संचालन हेतु दिनांक 16.04.2018 से आगामी 31.03.2019 तक के लिए मान्य होगी।

1– द्वितीय पक्षकार जिला–महराजगंज के आंवटित **सामु0स्वा0 केन्द्र–परतावल**, जनपद–महराजगंज को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

A- सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोडकर जो लगभग 25 दिन प्रति माह के अन्तर्गत आएगा। रू0 31000/–(रू0 इकतीस हजार मात्र) ईधन साहित प्रतिमाह प्रति वाहन की दर से उपलब्ध कराएगा। यदि वाहन 25 दिवस से कम उपलब्ध कराया जाता है तो अनुपातिक भुगतान होगा। वाहन माह में कम से 1500 कि0मी0 चलाना अनिवार्य होगा। 1500 कि0मी0 से कम चलने पर अनुपातिक भुगतान ही किया जायेगा।

B- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिर्वाय है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

C- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।

D- नियमति जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0–300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

2- द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 19800.00(रू0 उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की जमानत राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अविध पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

3- **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयो में सूचना पट्ट योजना संबन्धी प्रचार प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

4- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाईल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाईल नम्बर दिया जोगया, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष की होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्य नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करे। ऐसा पाए जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6– एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

7– अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल महराजगंज न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षो को मान्य होगा।

8– सेवा प्रदाता को समस्त कर यथा टोल टैक्स, जी0एस0टी0, आदि कर स्वयं देना होगा तथा वाहन का मेन्टेन्स द्वितीय पक्षकार को ही करना हेागा।

9– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि व द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

10– सेवा प्रदाता द्वारा अनिवार्य रूप से जी0पी0आर0एस0 वाहन में लगाना होगा।

स्थान–महराजगंज।

प्रतिहस्ताक्षरित

मुख्य चिकित्साधिकारी महराजगंज

सुरेन्द्र यादव विनोद कुमार

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी द्वितीय पक्ष वाहन स्वामी निविदादाता फर्म

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DG 708300

प्रथम पक्ष **नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति,जनपद–महराजगंज।**

द्वितीय पक्ष/(सेवा प्रदाता) मेसर्स–कृष्णा इण्टर प्राईजेज, टूर एण्ड ट्रेवेल्र्स, जनपद–महराजगंज व वाहन स्वामी श्री संदीप कुमार मौर्या पुत्र कदम लाल मौर्या, ग्राम–जंगल झन्झावां, पीपीगंज, गोरखपुर। **वाहन संख्या- UP 53 CT 5540**

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के संचालन हेतु दिनांक 05.04.2018 से 31.03.2019 तक के लिये मान्य होगा।

1– द्वितीय पक्षकार जिला–महराजगंज के आंवटित **सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्र–पनियरा**, जनपद–महराजगंज को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

A- सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन व्यवस्था **सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत राजकीय अवकाश को छोडकर जो लगभग 25 दिन प्रति माह के अन्तर्गत आएगा। रू0 31000/– (रू0 इकतीस हजार मात्र) ईधन साहित प्रतिमाह प्रति वाहन की दर से उपलब्ध कराएगा। यदि वाहन 25 दिवस से कम उपलब्ध कराया जाता है तो अनुपातिक भुगतान होगा। वाहन माह में कम से 1500 कि0मी0 चलाना अनिवार्य होगा। 1500 कि0मी0 से कम चलने पर अनुपातिक भुगतान ही किया जायेगा। अवकाश में यदि कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है तो वाहन देना होगा।

B- वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिर्वाय है।

- वाहन टैक्सी परमिट में पंजीकृत है।
- वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
- वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जाएगा।
- दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेंन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।

C- वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र आदि होना अनिवार्य है।

D- नियमति जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0–300.00 की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

E- सम्बन्धित इकाई के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा यदि किसी कार्य कार्यक्रम में कोई निर्देश दिया जाता है तो वह वाहन स्वामी को मान्य होगा ।

2- द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रू0 19800.00(रू0 उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की जमानत राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

3- **सपोर्टिव सुपरविजन** के सफल संचालन हेतु वाहन चालको का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयो में सूचना पट्ट योजना संबन्धी प्रचार प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जाएगा।

4- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसे एक मोबाईल उपलब्ध कराएगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय–समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सके। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालको को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाईन नम्बर तथा मोबाईल नम्बर दिया जोगया, जिससे आवश्यकता पडने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

5- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किए गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष की होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्य नही होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नही करे। ऐसा पाए जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

6– एजेन्सी को आवंटित इकाई पर प्रातः 8:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक वाहन उपलब्ध करायेगे। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारण प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लागबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

7– अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल महराजगंज न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षो को मान्य होगा।

8– सेवा प्रदाता को समस्त कर यथा टोल टैक्स, जी0एस0टी0, आदि कर स्वयं देना होगा तथा वाहन का मेन्टेन्स द्वितीय पक्षकार को ही करना हेगा।

9– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत सेवा संतोषजनक नही पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि व द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नही जाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान–महराजगंज।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रथम पक्ष — मुख्य चिकित्साधिकारी
महराजगंज

द्वितीय पक्ष — वाहन स्वामी

निविदादाता फर्म

मुख्य चिकित्साधिकारी
आर०सी०पुरा०
महराजगंज